न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 59/2026

01. जोव कटारिया पुत्र हनुमान जाति मेघवाल निवासी चक 2 डीडब्ल्युडी तहः खाजूवाला
....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपपत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपपत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 2 डीडब्ल्युडी मु0नं0 129/53 में रकबा 1.9979 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूम का 1/2 हिस्सा सहिस्सेदार के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त कृषि भूमि मुझ मिकर द्वारा 1/2 सहिस्सेदारी के रूप में खरीदषुदा है। बैयनामा करते वक्त मुझ मिकर का नाम अरविन्दकुमार पुत्र हनुमान दर्ज था। उक्त कृषि भूमि पर मुझ मिकर का कब्जा बैयनामा की दिनांक 16.01.2009 से आजतक लगातार चला आ रहा है। मुझ मिकर ने जरिये भारत का राजपत्र द्वारा अपना नाम अरविन्दकुमार की जगह जोव कटारिया करवा लिया है। वादी के अन्य दस्तावेजों आधारकार्ड, जनआधार कार्ड, आदि में जोव कटारिया अंकित है। वादी राजस्व कार्य करवाने में नाम अरविन्द कुमार के काफी परेषानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके लिये वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अरविन्द कुमार की जगह जोव कटारिया करवाना चाहता है। वादी उक्त रकबा के राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर अरविन्दकुमार की जगह जोव कटारिया की घोषणा व दुरूस्त करवाना चाहता है। अतः घोषणात्मक वाद पेष कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वादी के नाम का रकबा तहसील खाजूवाला उप तहसील दन्तौर की चक 2 डीडब्ल्युडी मु0नं0 129/53 में कुल रकबा 1.9979 हैक्टर कमाण्ड है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा बनता है। राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम अरविन्दकुमार की जगह जोव कटारिया की घोषणा कर दुरूस्त कर अंकन करने का आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम वादपत्र धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में भारत का राजपत्र, आधारकार्ड, जनआधारकार्ड, पैनकार्ड, बैयनामा इत्यादि की प्रति प्रस्तुत की व भाई मनीष पुत्र हनुमान का शपथपत्र प्रस्तुत किया जिसमें लिखा है कि राजस्व रिकॉर्ड में मेरे भाई के नाम में शुद्धिकरण करने हेतु शपथपत्र तस्दीक कर रहा हूं। मुझ मिकर के भाई के तमाम दस्तावेज में नाम जोव कटारिया अंकित है। मुझ मिकर के भाई अरविन्दकुमार का नाम जोव कटारिया है। उक्त नाम का संषोधन जरिये राजपत्र द्वारा करवा गया है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट व धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 2 डीडब्ल्युडी मु0नं0 129/53 में रकबा 1.9979 हैक्टर कमाण्ड कृषि भूमि का 1/2 हिस्सा के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी का नाम अरविन्दकुमार की जगह जोव कटारिया संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच अरविन्दकुमार नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का अरविन्दकुमार नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम अरविन्दकुमार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी /वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)